यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग के माह 05/2014 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.12.2018 से 24.12.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस॰ के॰ जौहरी एवं श्री एस॰ के॰ सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.05.14 से 26.05.14 तक श्री बजरंग सिंह चन्देल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2010 से 04/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरत व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे कर्णप्रयाग क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
		स्थापना	**गैर-स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2014-15	0.00	0.00	170.44	162.14	37.74	36.78	-	9.26
2	2015-16	0.00	0.00	166.70	165.75	35.30	27.15	-	9.10
3	2016-17	0.00	0.00	193.55	189.52	96.51	81.31	-	19.23
4	2017-18	0.00	0.00	231.99	227.97	88.49	87.99	-	4.52
5	2018-19	0.00	0.00	235.79	158.45	110.46	89.16	-	--

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05.2014 से 11.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- रु. 11.42 लाख के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उनका लाभ समय से संस्थान को प्राप्त न होना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय-1 के पैरा संख्या 12 के अनुसार विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संविदा, निविदा के वैध समय के अंदर ही दी जाए और नविदा की वैध तिथि बढ़ाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में संस्थान में संचालित पीपीपी मोड के तहत भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि रु. 2.50 करोड़ से संस्थान के उच्चीकरण हेतु Institute Development Plan (IDP) की सिविल वर्क पर व्यय विवरण निम्नवत पायी गयी।

कार्य का विवरण	लागत	निविदा अवधि	अनुबंध अवधि
शौचालय निर्माण	344397.40	2015-16	2016-17
रोड मरम्मत	797566.27	2015-16	2016-17
कुल योग	रु. 1141963.67		

अर्थात रु. 11.42

स्वीकृत IDP में वर्ष 2016-17 के लिए सिविल वर्क पर व्यय करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया जाना नहीं पाया गया। आगे पाया गया कि कार्यों के निष्पादन के संबंध में वर्ष 2015-16 में अपनायी गयी निविदा प्रणाली पर वर्ष 2016-17 में वित्तीय नियमों के प्रतिकूल अनुबंध की कार्यवाही पूरी की गयी। सिविल वर्क पर किए गए व्ययों की सूचना में भी भिन्नता पायी गयी अभिलेखों की जाँच में उक्त मद पर वास्तविक व्यय रु. 11.42 लाख पायी गयी। जबकि शासन को प्रेषित की गयी Quarterly Progress Report में वास्तिवक व्यय रु. 6.33 लाख की सूचना दी गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि चूंकि संस्थान में उच्चीकरण का कार्य गतिमान था जिस कारण सिविल वर्क के लिए IMC से निधियों का आहरण टाला नहीं जा सकता था। भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर तर्क संगत नहीं पाया गया, सिविल कार्य पर व्यय करने के पूर्व IDP में उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त न करना तथा पूर्व वर्ष के आमंत्रित निविदा के वैध समय के अंदर कार्यवाही पूरी न कर क्रमिक वर्ष में निर्णय लेना उक्त वर्णित

अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन पाया गया। साथ ही सिविल कार्य के किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी पायी गयी जिससे निर्माण कार्यों का लाभ विभाग/संस्थान को वर्तमान तक नहीं मिला पाया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:2- धनराशि रु 34.92 लाख का अलाभकारी व्यय।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग में भारत सरकार की पीपीपी मोड के तहत व्यवसायों के उच्चीकरण एवं नए व्यवसाय हेतु संचालित योजना के तहत क्रय किए गए मशीनों एवं उपकरणो की जांच की गयी। उक्त योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग नए व्यवसायों को एनसीवीटी द्वारा संचालित किया जाने हेतु किया जाना था।

आईएमसी संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि धनराशि रु 34.92 लाख के मशीनों एवं उपकरणों का क्रय नए व्यवसायों फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन खोले जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 के मध्य किया गया। आगे जांच मे पाया गया कि वर्तमान तक उक्त व्यवसाय असंचालित पाये गए जिसका कारण संस्थान मे अनुदेशकों का नही होना तथा वर्तमान तक उक्त व्यवसायों को संबंधन (affiliation) अप्राप्त होना था परिणामस्वरूप धनराशि रु 34.92 लाख के उपकरण एवं मशीन 05/2010(क्रय तिथि) तथा 11/2014(क्रय तिथि) से निष्क्रिय अवस्था मे स्टॉक मे पड़े थे। आगे जांच मे पाया गया कि संस्थान मे नए ट्रेड के अंतर्गत प्रथम चरण मे इलेक्ट्रिशियन एवं फिटर व्यवसाय खोले जाने हेतु साज सज्जा क्रय किए जाने की अनुमति वर्ष 11/2010 मे प्रदान किया गया जिसके सापेक्ष 05/2010 मे उक्त व्ययसायों हेतु lathe machine तथा Drilling machine का क्रय किया गया तथा पुनः 06/2011 में आईएमसी समिति द्वारा उक्त व्यवसायो हेतु साज -सज्जा क्रय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष उपकरण एव मशीनों का क्रय 3 वर्ष के विलम्ब से वर्ष 2014 मे किया जाना पाया गया। संबन्धित उपकरणों एवं मशीनों की अधिप्राप्ति करते समय वित्तीय अनियमितता पायी गयी जैसे गठित क्रय समिति मे मात्र 2 सदस्य होने, विज्ञाप्ति मे निविदा तिथि अंकित नही पाया जाना, तुलनात्मक सारणी मे मात्र 4 फ़र्मों की दरे सम्मिलित किया जाना जबकि कुल 07 फ़र्मों से निविदाए प्राप्त की गयी थी, निविदा प्रक्रिया 04/2014 मे पूर्ण होने के उपरान्त भी आपूर्ति आदेश 5 माह विलम्ब से जारी किया जाना आदि। पुनः 06/17 मे उक्त व्यवसायो हेतु शेष साज सज्ज एवं उपकरण रु 7.29 लाख के क्रय करने एवं पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक संबन्धित व्यवसायो का संबंधन लंबित पाया गया तथा व्यवसाय असंचालित पाये गए।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि दुर्गम स्थल होने के कारण प्राइवेट पार्टनर के द्वारा सक्रियता नही होने के कारण संबन्धित व्यवसायों हेतु साज सज्जा क्रय करने मे विलम्ब हुआ एवं संबन्धित व्यवसायों के सापेक्ष अनुदेशकों की नियुक्ति नही हुई तथा साज सज्जा एवं उपकरणों को कार्यशाला मे निष्क्रिय अवस्था मे रखा गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आईएमसी समिति द्वारा उक्त व्यवसायों हेतु वर्ष 2010-11 से वर्तमान तक उपकरण एवं मशीनों का क्रय निरंतर किये जाने के बाद भी इकाई संबन्धित व्यवसाय संचालित करने में विफल रही, यह विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
09/2010-11	01	01,02	-
17/2014-15	-	01,02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभियुक्ति
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN			
09/2010-11	01	01,02	-			
17/2014-15	-	01,02	-			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री डी.एस. नेगी	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग	लेखापरीक्षा अवधि से 11.08.17 तक
श्री उदय राज सिंह	प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग	12.08.2017 से वर्तमा तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्णप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.